प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/202340/BJN/BIJNOR/1680/CFO
दिनांक : 06-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **THE SCHOLARS VALLEY SCHOOL** पता **KHASRA NO-57-1-1 57-1-2 VILL-PIPALSANA,NAGINA TO DHAMPUR ROAD,DHAMPUR BIJNOR** तहसील - **DHAMPUR** प्लाट एरिया **22300.0 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3555.54** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	7.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **THE SCHOLARS VALLEY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **07-06-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JASPREET SINGH E-Mail ID : info@thescholarsvalley.com Mobile No. : 9897511013** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-06-2026** से **09-06-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं मे पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **THE SCHOLARS VALLEY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **THE SCHOLARS VALLEY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : एफएसएसओ श्री दीपक कुमार द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखो का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन में एनबीसी एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्थाये कार्यशील दशा में स्थापित पाई गयी है विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। अपलोड अभिलेखो में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
RAJEEV KUMAR PANDEY
6C6B7CD87F8DA0280481F96BE77A196410E6956C
10-06-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-06-2026
स्थान : BIJNOR

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID on the department portal of UP Fire Service.

The Scholars Valley Principal Dhampur

The Scholars Valley Dhampur

Scanned with OKEN Scanner